न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर. खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. गणेश, कपूराराम, वदाराम पुत्रगण श्री नैनाजी भील, निवासी– टांकरिया, सिरोही
2. कपूरजी पुत्र श्री सोनाजी ओड, निवासी– टांकरिया, सिरोही
3. सुल्तान भाई पुत्र श्री बाबुखान, निवासी– टांकारिया, सिरोही
4. नागजी पुत्र श्री सोनाजी ओड, निवासी– टांकरिया, सिरोही
5. मगनजी पुत्र श्री सोनाजी ओड, निवासी– टांकरिया, सिरोही
6. मुकेश कुमार पुत्र श्री कपुरजी ओड, निवासी टांकरिया, सिरोही।
7. धनाराम पुत्र श्री वनाजी जोगी, निवासी– टांकरिया, सिरोही
8. कालुराम पुत्र श्री कपुरजी ओड, निवासी– टांकरिया, सिरोही
9. विक्रम जी पुत्र श्री अमृतजी ओड, निवासी– टांकरिया, सिरोही
10. गोर्धनजी पुत्र श्री मालाजी, निवासी– टांकरिया, सिरोही
11. तेजाराम पुत्र श्री मेघाजी मूंगीया, निवासी– टांकरिया, सिरोही.
12. अल्पेश पुत्र श्री अर्जुनजी ओड, निवासी– टांकरिया, सिरोही
13. नागजी पुत्र श्री अजमलजी ओड, निवासी– टांकरिया, सिरोही
14. मोताजी पुत्र श्री रूपाजी मूंगीया, निवासी– टांकरिया सिरोही
15. मगनजी पुत्र श्री समारामजी माली, निवासी– टांकरिया सिरोही
16. राजूराम पुत्र श्री तेजाजी मूंगीया, निवासी– टांकरिया, सिरोही।

बनाम

प्रत्यर्थी

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही
2. सहायक वन संरक्षक, सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 06/2019

''अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री कुलदीप रावल, अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री भंवरसिंह देवडा, प्रत्यर्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 28 दिसम्बर, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह संयुक्त अपील सहायक वन संरक्षक, सिरोही द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण संख्या क्रमशः 8/2015, 9/2015, 12/2015, 13/2015, 15/2015, 18/2015, 21/2015, 22/2015, 23/2015, 27/2015, 30/2015, 33/2015, 35/2015, 36/2015, 39/2015 व 42/2015 में संयुक्त रुप से पारित निर्णय दिनांक 29.11.2016 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु अपील के साथ साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन/नोटिस जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही की पत्रावलियों तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवडा उपस्थित हुये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:54 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज 2

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(3) वकील पक्षकारान की दिनांक 23.12.2022 को बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी सिरोही ने तहसील सिरोही के खसरा संख्या 1524, 1552, 1556 की 4.86 हैक्टर भूमि को मातरमाता वनखण्ड की भूमि मानते हुये एवं अपीलार्थीगण का उक्त खसरा संख्या की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा मानते हुए अपीलार्थीगण के विरुद्ध 91 एल. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक सिरोही के समक्ष पेश की थी जिस पर सहायक वन संरक्षक सिरोही के न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर दिनाक 29.11.2016 को निर्णय पारित किया एवं उक्त निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.11.2016 में प्रतिवादी सख्या 1 से 42 (अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 7/2015 से 48/2015 में) तक को खसरा संख्या 1524, 1552,, 1556 की 4.86 हेक्टर भूमि को मातरमाता वनखण्ड की भूमि मानते हुए एवं इस पर अपीलार्थीगण (प्रतिवादी सख्या 1 ता 42) तक का अवैध कब्जा मानते हुए बेदखल करने का आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को पर्याप्त सुनवाई एवं बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया है तथा न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना सुने ही उक्त आदेश पारित किया है जो अपास्त करने योग्य है। उक्त खसरा संख्या 1524, 1552, 1556 की 4.86 हेक्टर भूमि जिसे क्षेत्रीय वन अधिकारी सिरोही ने वनखण्ड की भूमि बताकर अपीलार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही की है जबकि इस प्रश्नगत भूमि की न तो वन विभाग के पास कोई अधिसूचना है और नही कोई आदेश है जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जाच किये एवं मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना उक्त आदेश पारित करने में भारी कानूनी च वाक्याती भूल की है। खसरा संख्या 1524, 1552 1556 की 4.86 हेक्टर भूमि जिसे क्षेत्रीय वन अधिकारी सिरोही ने अधीनस्थ न्यायालय में वनखण्ड की भूमि बताकर अपीलार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही की है जो विधि विरुद्ध है। हकीकत में उक्त प्रश्नगत भूमि में से कुछ भूमि नगर पालिका सिरोही की आबादी भूमि है एवं कुछ भूमि राजस्व विभाग की बिलानाम भूमि है, क्योकि पूर्व मे अपीलार्थीगण को नगर पालिका व राजस्व विभाग द्वारा नोटीस भी जारी किये गये है एवं वन विभाग द्वारा दो वर्ष पूर्व बनाई गई चार दीवारी से भी अपीलार्थीगण के मकान बाहर है इससे यह प्रकट होता है कि उक्त विवादित भूमि नगर पालिका या राजस्व विभाग की रही है एवं प्रश्नगत भूमि का कुछ भाग सिरोही शहर के टाकरिया बस्ती से लगता हुआ है एवं उक्त बस्ती का स्थानीय निकाय नगर परिषद सिरोही द्वारा सरकारी योजना कच्ची बस्ती नियमन में पटटे भी जारी किये गये है केवल मात्र वर्ष 2006 मे सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त विवादित भूमि को मौके की स्थिति को देखे बिना अपने दफतर मे ही मन माफिक तरीके से वन विभाग के नाम से गलत तरमीम कर दी जिससे केवल मात्र गलत तरमीम के आधार पर अपीलार्थीगण को अपने स्वयं के पुश्तैनी मकान से बेदखल नहीं किया जा सकता। अपीलार्थीगण ने उक्त खसरा संख्या 1524, 1552, 1556 पर अतिक्रमी नहीं है व न ही अपीलार्थीगण ने उस पर कोई अवैध कब्जा किया है, बल्कि हकीकत यह है कि उक्त प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 1524, 1552, 1556 अपीलार्थीगण के पुराने कब्जे की है जिस पर अपीलार्थीगण के मकान बने हुये है एवं जिसमे वे अपने पूर्वजो के समय से लगातार निवास करते आ रहे है। मौके पर अपीलार्थीगण के नाम के विद्युत व पानी के कनेक्शन है एवं विभाग द्वारा बिल जारी किये जा रहे हैं एवं अपीलार्थीगण को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहा है। इस प्रकार काफी लम्बे समय से [illegible] रहे ऐसे कब्जा धारियो को राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय को पट्टा जारी [illegible] हेतु भी समय समय पर निर्देशित करती है एवं नोटीफिकेशन [illegible] है जिससे अपीलार्थीगण भी अपने हक की भूमि को [illegible] के अधिकारी है। क्षेत्रीय वन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:54 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अधिकारी, सिरोही ने विवादित भूमि की पैमाईश करवाये बिना ही अपीलार्थीगण के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी केवल क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही की रिपोर्ट को ही आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कानूनन गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि की पैमाईश करवाये बिना ही व मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना एवं पर्याप्त जांच किये बिना, राजस्व रेकर्ड देखें बिना तथा नगर परिषद सिरोही से जानकारी किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने में भारी कानुनी वाक्याती भूल की है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2016 को निरस्त किया जावे। जबकि प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही द्वारा अपीलार्थीगण व अन्य (अपीलार्थीगण सहित कुल 42 अतिक्रमी) के विरुद्ध मातरमता वन खण्ड के खसरा संख्या 1524, 1552, 1556 रकबा 4.86 हेक्टेयर भूमि में अनाधिकृत रुप से कब्जा कर अतिक्रमण करने से धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही हेतु मौके व रेकर्ड की जांच करके अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही में अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इन रिपोर्टो पर क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही एवं हल्का पटवारी सिरोही तथा वनपाल नाका, सिरोही के हस्ताक्षर है। इन रिपोर्टो के साथ मौके का पंचनामा व नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया है, जिस पर वन रक्षक, सहायक वन पाल व वनपाल के हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही ने बाद जांच धारा 91 राजस्थान अधिनियम, 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण व अन्य के विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अलग अलग प्रकरण (प्रकरण संख्या 7/2015 से 48/2015) दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के बाद भी अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में बचाव में कोई साक्ष्य—सबूत प्रस्तुत नही किये है। विवादित भूमि नगरपालिका की भूमि अथवा राजस्व विभाग की नही होकर वन विभाग की भूमि है। जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच अपीलार्थीगण व अन्य अतिक्रमियों (अपीलार्थीगण सहित कुल 42 व्यक्तियों) का मातरमाता वनखण्ड के खसरा संख्या 1524, 1552, 1556 रकबा 4.86 हेक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा/अतिक्रमण मानकर विधि अनुरुप निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही द्वारा अपीलार्थीगण व अन्य व्यक्तियों (अपीलार्थीगण सहित कुल 42 व्यक्तियों) के विरुद्ध मातरमाता वनखण्ड के खसरा संख्या 1524, 1552 व 1556 की रकबा 4.86 हेक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत रुप से मकान बनाकर/बाड/टीनशेड मकान आदि बनाकर कब्जा करने पर इनके विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही में अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी, [illegible] की रिपोर्टो पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध अलग अलग प्रकरण संख्या क्रमशः 8/2015, 9/2015, 12/2015, 13/2015, 15/2015, 18/2015, 21/2015, 22/2015, 23/2015, 27/2015, 30/2015, 33/2015, 35/2015, 36/2015, 39/2015 व 42/2015 (अपीलार्थीगण सहित कुल 42

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:54 IST
Reason: SelfAttested

व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण संख्या 7/2015 से 48/2015) दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टो पर क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही, हल्का पटवारी व वनपाल नाका, सिरोही के हस्ताक्षर किये हुए है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वनरक्षक, सहायक वन पाल व वनपाल द्वारा तैयार किया गया मौके का पंचनामा व नजरी नक्शा उपलब्ध है, परन्तु मौके की सीमाज्ञान रिपोर्ट उपलब्ध नही है। जबकि अपीलार्थीगण का यह कथन है कि "विवादित भूमि वन विभाग द्वारा वन भूमि पर बनाई गई दीवार से बाहर स्थित है, जिसमें से कुछ भूमि नगरपालिका व कुछ भूमि राजस्व विभाग की भूमि है तथा मौके पर अपीलार्थीगण के आवासीय मकान बने हुए है तथा विद्युत व पानी के कनेक्शन लिये हुए है।" इस कारण से, विवादित भूमि की राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम से पैमाईश/सीमाज्ञान के अभाव में अपीलार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही की जाना न्यायोचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2016 में वनखण्ड मातरमाता के खसरा संख्या 1524, 1552, 1556 की वन भूमि के गजट नोटिसफिकेशन आदेश क्रमांक:प्रथम–डी 19174 एफ.15(2)आर–57 दिनांक 12.3.2019 एवं अन्तिम गजट नोटिफिकेशन एफ 7/(323)रा.क. 60 दिनांक 27.10.60 का उल्लेख किया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों में उक्त गजट नोटिफिकेशन की प्रतियां उपलब्ध नही है। इस प्रकार, इन पत्रावलियों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नही दिया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध पारित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही को विवादित भूमि की पैमाईश करवाकर एवं अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण संख्या 8/15, 9/2015, 12/2015, 13/2015, 15/2015, 18/2015, 21/2015, 22/2015, 23/2015, 27/2015, 30/2015, 33/2015, 35/2015, 36/2015, 39/2015 व 42/2015 में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान/पैमाईश करवाकर एवं अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खोड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:54 IST
Reason: SelfAttested